

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्न्वय विभाग ।

शुभक,

सेवा में,

श्री अशोक कुमार चौहान,
सरकार के सचिव ।

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव,
सरकार के सभी सचिव,
सरकार के सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 4 मार्च, 2006ई०

विषय:- मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ सलख भेजे जाने के संबंध में ।
प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-सी०एच०/ए०-१-१०७/९९-५२३ दि०-२४-०२-२००४.
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राथमिक पत्र द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन हेतु सलख भेजे जाने के मामले में विस्तृत मार्गदर्शन तैयार किया गया था एवं उस पर तदनुसार कार्रवाई तैयार करने का भी निदेश दिया गया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्प्रति यह अनुभव किया जा रहा है कि सलख जो मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्राप्त कराये जा रहे हैं, वह मंत्रिपरिषद् की बैठक प्रारंभ होने के समय तक आते रहते हैं तथा अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई में मंत्रिमंडल विभाग को अनावश्यक हड़बड़ी एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे कि भूल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सलख इस विभाग को आठ दिन पूर्व अवश्य ही भेजा जाय। अगर ऐसा कोई अपरिहार्य कारण हो तो उसे उल्लिखित करते हुए कम से कम तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय का भी निदेश दिया जा चुका है ।

अतः आग्रह है कि पूर्व से तैयार निदेशके अनुसार आठ दिन पूर्व या अति-विशेष परिस्थिति में तीन दिन पूर्व सलख मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्न्वय विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय जिससे कि विहित प्रक्रिया अपनाते हुए आननीय मुख्यालय का आदेश प्राप्त किया जा सके। साथ ही सलख की प्रति कम्प्यूटरीकृत एवं अनुलग्नक पठनीय हो, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

कृपया भविष्य में इसका अनुपालन तैयार किया जाय।

विश्रामजीवन,

Handwritten signature and date: 13/3/06

अशोक कुमार चौहान
सरकार के सचिव ।